न्यायालय विशेष न्यायाधीश (SC/ST (PoA) Act)/गैंगेस्टर एक्ट, सिद्धार्थनगर।

UPSD010008522026

Bail Application/344/2026

राजेश निषाद पुत्र स्व० ईश्वर प्रसाद

निवासी कालोनी सूरज कुण्ड, थाना तिवारीपुर, जनपद गोरखपुर।

-----प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

सरकार उ०प्र०

----विपक्षी/आपत्तिकर्ता

मुकदमा अपराध संख्या-17/2026

धारा-2(b)(i),3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986

थाना-उसका बाजार, जनपद- सिद्धार्थनगर।

दिनांक-07-04-2026

1. अभियुक्त राजेश निषाद की ओर से मु०अ०सं०-17/2026, धारा-2(b)(i),3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986, थाना-उसका बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है। अभियुक्त उपरोक्त मामले में न्यायिक हिरासत में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि गिरोह सरगना/आवेदक राजेश निषाद व सदस्य सूरज सिंह व संदीप सिंह का एक सुसंगठित गिरोह है, जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय है। उक्त गिरोह द्वारा नकली अंग्रेजी शराब की बिक्री एवं कापीराइट जैसे आपराधिक कृत्य आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी एवं अन्य लाभ हेतु अकेले तथा संयुक्त रूप से अपराध किया जाता है, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 17 के अधीन दण्डनीय है। उक्त गिरोह द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986 की धारा 2(b) की उपधारा एक से आच्छादित है, जो धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986 के तहत दण्डनीय अपराध है।

3. जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुये बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया है कि प्रार्थी बिल्कुल बेकसूर व्यक्ति है, महज हैरान परेशान करने की गरज से झूठे मुकदमें में फंसा दिया गया है। प्रार्थी न तो किसी गैंग का सरगना है, न ही किसी गैंग का सदस्य है, न ही कोई अपराध किया है, न ही प्रार्थी के पास कोई अवैध वस्तु की बरामदगी हुई है, न ही अभियुक्त अभियुक्त के पास से शराब की खाली शीसियां व ढक्कन बरामद हुए हैं और न ही पानी एवं केमिकल मिलाकर नकली शराब बनाने की तैयारी कर रहा था। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना-

Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2026.04.07 16:31:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है इसके अलावा किसी अन्य न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना–पत्र न तो दाखिल है और न ही लम्बित है। प्रार्थी दिनांक 02.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी जमानत हेतु मुचलका देने को तैयार है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित धनराशि की जमानत मुचालिके पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि मामला अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के अपराध का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त/गिरोह सरगना राजेश निषाद का सह अभियुक्त सूरज सिंह व संदीप सिंह के साथ एक गैंग है। वह स्वयं तथा गैंग के सदस्य के साथ मिलकर अपने आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए नकली अंग्रेजी शराब की बिक्री, कापीराइट एवं अन्य अपराधों को कारित करके धन अर्जित करता है। थाने की आख्यानुसार अभियुक्त के ऊपर उक्त अभियोग के अतिरिक्त **1.** मु०अ०सं० 06/2025 अन्तर्गत धारा 274,318,336(3),338,340(2),61(2) बीएनएस व धारा 60/72 आबकारी अधि० व 63 कापीराइट एक्ट, थाना उसका बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर, **2.** मु०अ०सं० 1138/2016 अन्तर्गत धारा 420 भा०दं०सं० व 60/63/72 आबकारी अधिनियम, थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर, **3.** मु०अ०सं० 37/2017 अन्तर्गत धारा 504,506 भा०दं०सं० व 43/66 आईटी एक्ट, थाना पीपीगंज, जनपद गोरखपुर, **4.** मु०अ०सं० 315/2018 अन्तर्गत धारा 419,420,467,468 भा०दं०सं० व 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, **5.** मु०अ०सं० 568/2020 अन्तर्गत धारा 279,337,338 भा०दं०सं०, थाना चौरीचौरा, जनपद गोरखपुर, **6.** मु०अ०सं० 1344/2020 अन्तर्गत धारा 419,420 भा०दं०सं० व 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर पंजीकृत हैं। अभियुक्त के विरूद्ध गैंगचार्ट का अनुमोदन किया जा चुका है जिसमें अभियुक्त को गम्भीर प्रकृति के अपराध में लिप्त होना दर्शित किया गया है। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त के जमानत पर छूटने पर वह किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा इस तथ्य की उपधारणा का कोई साक्ष्य व युक्ति–युक्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से न्यायालय की राय में धारा 19 (4) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार व मामले के गुण–दोष पर विचार किये बिना न्यायालय जमानत का पर्याप्त आधार नहीं पाती है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

8. अभियुक्त राजेश निषाद का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनॉकः–07.04.2026

(मनोज कुमार तिवारी–I)
विशेष न्यायाधीश (SC/ST(PA)Act)/
गैंगेस्टर एक्ट, सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड UP 1736